

पृथ्वी वज्जिज्ञान की ओ-स्मार्ट योजना को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एक व्यापक योजना 'महासागरीय सेवाओं, प्रौद्योगिकी, नगिरानी, संसाधन प्रतरूपण और वज्जिज्ञान (O-SMART)' को अपनी मंजूरी दी।

प्रमुख बढि

- इस योजना की कुल लागत 1623 करोड़ रुपए है और यह योजना 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान लागू रहेगी।
- इस योजना में महासागर के विकास से जुड़ी 16 उप-परियोजनाओं जैसे - सेवाएँ, प्रौद्योगिकी, संसाधनों के प्रेषण और वज्जिज्ञान को शामिल किया गया है।
- अगले दो वर्षों के दौरान विचार किये जाने वाले महत्त्वपूर्ण विषय इस प्रकार हैं-
 - ◆ महासागरीय नगिरानी तंत्र का वसितार।
 - ◆ मछुआरों के लिये महासागरीय सेवाओं में वृद्धि।
 - ◆ समुद्र तटीय प्रदूषण की नगिरानी के लिये समुद्र तट पर वेधशालाओं की स्थापना।
 - ◆ वर्ष 2018 में कावारती में महासागर ताप ऊर्जा संरक्षण संयंत्र (OTEC) की स्थापना।
 - ◆ तटीय अनुसंधान के लिये दो तटीय अनुसंधान पोतों का अधगिरहण।
 - ◆ महासागरीय सर्वेक्षण जारी रखना और खनजि तथा सजीव संसाधनों का अन्वेषण।
 - ◆ गहरे समुद्र में खनन- गहरी खनन प्रणाली के लिये प्रौद्योगिकी विकसित करना।
 - ◆ मानव युक्त पनडुब्बियाँ और लक्षद्वीप में छह वलिवणीकरण संयंत्रों की स्थापना।

प्रभाव:

- O-SMART के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं से तटीय और महासागरीय क्षेत्रों के अनेक क्षेत्रों जैसे -मत्स्यपालन, समुद्र तटीय उद्योग, तटीय राज्यों, रक्षा, नौवहन, बंदरगाहों आदि को आर्थिक लाभ मल्लिगा।
- वर्तमान में पाँच लाख मछुआरों को मोबाइल के ज़रिये रोजाना सूचना प्रदान की जाती है, जसिमें मछलियाँ मल्लिने की संभावना वाले क्षेत्र और समुद्र तट के स्थानीय मौसम की स्थिति की जानकारी शामिल है।
- इस योजना से मछुआरों का मछलियों की तलाशी में व्यतीत होने वाले वाला समय बचेगा जसिके परणामस्वरूप ईंधन की बचत होगी।
- O-SMART के कार्यान्वयन से सतत विकास लक्ष्य के 14वें बढि से जुड़े मुद्दों के समाधान में मदद मल्लिगी, जनिका उद्देश्य महासागरों के इस्तेमाल, उनके नरितर विकास के समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना है।
- यह योजना बलू अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन के लिये आवश्यक वैज्जिज्ञानिक और तकनीकी पृष्ठभूमि प्रदान करेगी।
- इस योजना के अंतर्गत स्थापित आधुनिक पूर्व चेतानवी प्रणालियाँ सुनामी, झंझावात जैसी समुद्री आपदाओं से प्रभावी तरीके से नपिटने में मदद करेगी।
- इस योजना के अंतर्गत विकसित प्रौद्योगिकियाँ भारत के आस-पास के समुद्रों से वशाल समुद्री सजीव और नरिजीव संसाधनों को उपयोग में लाने में मदद करेगी।

पृष्ठभूमि

- नवंबर 1982 में लागू महासागर नीतिके अनुसार, मंत्रालय मुख्य रूप से सागर विकास के क्षेत्र में कई बहु-अनुशासनात्मक परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है जनिमें-
- महासागरीय सूचना सेवाओं का समूह की रूप में प्रदान करने, समुद्री संसाधनों को नरितर उपयोग में लाने के लिये प्रौद्योगिकी विकसित करने, अग्रमि श्रेणी के अनुसंधान को बढावा देने और महासागरीय वैज्जिज्ञानिक सर्वेक्षण कराना आदि शामिल है।
- पृथ्वी वज्जिज्ञान मंत्रालय के कार्यक्रमों/नीतियों को उसके स्वायत्तशासी संस्थानों यानी राष्ट्रीय महासागरीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र, राष्ट्रीय अंतरकटकिक और महासागरीय अनुसंधान केंद्र तथा संबद्ध कार्यालय, समुद्र तट सजीव संसाधन और पारस्थितिकी केंद्र, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के ज़रिये लागू किया जा रहा है।
- अनुसंधान में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिये प्रौद्योगिकी युक्त अनुसंधान पोतों का बेड़ा, यानी 'सागर नधि', समुद्र वज्जिज्ञान अनुसंधान पोत 'सागर कन्या', मत्स्यपालन और समुद्र वज्जिज्ञान अनुसंधान पोत 'सागर संपदा' तथा तटीय अनुसंधान पोत 'सागर पूर्वी' की मदद ली गई है।

- मंत्रालय वभिनिन तटीय साझेदारों जैसे मछुआरों, तटीय राज्यों, अपतटीय उद्योग, नौसेना, तटरक्षक आदिको समुद्र से जुड़ी अनेक प्रकार की सूचना सेवाएँ प्रदान कर रहा है।
- हदि महासागर क्षेत्र के पड़ोसी देशों को भी इनमें से कुछ सेवाएँ दी गई हैं।
- भारत की महासागर संबंधी गतविधियों का वसितार अब आर्कटिक से अंटार्कटिक क्षेत्र तक हो गया है, जसिमें बड़ा महासागरीय क्षेत्र शामिल है और जसि पर यथास्थान व्यापक स्तर पर और उपग्रह आधारति वेधशालाओं के ज़रयि नगिरानी रखी जा रही है।
- भारत ने समुद्री आपदाओं जैसे- सुनामी, समुद्री तूफान, झंझावात आदिके लयि आधुनकि पूरव चेतावनी प्रणालयिँ स्थापति की हैं।
- गौरतलब है कि भारत अंटार्कटिक संधिप्रणाली पर हस्ताक्षर कर चुका है और संसाधनों के उपयोग के लयि अंटार्कटिक समुद्र तटीय आजीविका संसाधन संरक्षण आयोग (CCAMLR) में शामिल हो चुका है।
- महासागरीय संसाधनों के इस्तेमाल की प्रौद्योगिकियिँ का वकिस वभिनिन चरणों में है। इनमें से कुछ जैसे- द्वीपों के लयि कम तापमान वाली तापीय वलिवणीकरण प्रणाली काम कर रही है।
- इसके अलावा मंत्रालय तटरेखा में बदलावों और समुद्र तटीय पारस्थितिकी प्रणाली सहति भारत के तटीय जल की शुद्धता की नगिरानी कर रहा है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/cabinet-approves-umbrella-scheme-ocean-services>

